[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना

संख्या 16/2023-केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 19 जून, 2023

सा.का.नि. . . .(अ).- आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 26/2019-केंद्रीय कर, तारीख 28 जून, 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 452(अ), तारीख 28 जून, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :--

उक्त अधिसूचना के, पहले पैरा में, पांचवें परंतुक में:-

(i) शब्दों, अक्षरों और अंक, "माह अप्रैल, 2023" के स्थान पर, शब्दों, अक्षरों और अंकों, "माह अप्रैल 2023 और माह मई**, 2023**" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) शब्दों, अक्षरों और अंक, "मई, 2023 के इकतीसवें दिन" के स्थान पर, शब्दों, अक्षरों और अंक, " जून**, 2023** के तीसवें दिन" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 31 मई, 2023 से प्रभावी मानी जाएगी।

[फा.स.सीबीआईसी-20006/10/2023-जीएसटी]

(आलोक कुमार)
निदेशक

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 26/2019-केंद्रीय कर, तारीख 28 जून, 2019, भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 452(अ), तारीख 28 जून, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 13/2023-केंद्रीय कर, तारीख 24 मई, 2023, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.नि. 386(अ) तारीख 24 मई, 2023 द्वारा संशोधित की गई थी ।